

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक:-

पंकज कुमार सिंह,  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी महाप्रबंधक,  
जिला उद्योग केन्द्र, सासाराम, बक्सर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर,  
लखीसराय, गया, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, बांका, बेगुसराय,  
मुर्गेर।

पटना, दिनांक .....

विषय:- श्रीमती सुनीता पांडे एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दायर  
O.A No:-156 of 2015 (MA No.-474 of 2015) के माननीय National green  
Tribunal (NGT), नई दिल्ली द्वारा दिनांक-25.10.2015 को पारित आदेश  
के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:- पत्रांक-1988, दिनांक-17.05.2019 एवं पत्रांक-2175,  
दिनांक-07.06.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रांक-1988, दिनांक-17.05.  
2019 एवं पत्रांक-2175, दिनांक-07.06.2019 के क्रम में कहना है  
कि बार-बार स्मारित करने के उपरांत भी इतने महत्वपूर्ण विषय से  
संबंधित होने के बावजूद आप के जिलों का प्रतिवेदन निर्धारित तिथि तक  
प्राप्त नहीं होना खेद का विषय है। अतः अब यदि 24 घंटों के अंदर  
आपके जिलों के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो आपके जिला का  
प्रतिवेदन शून्य मानते हुए प्रतिवेदित किया जाएगा तथा आपके विरुद्ध  
अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु सरकार से अनुशंसा किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

पटना/दिनांक. 19.06.19...

ज्ञापांक. 2326...../

प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।